


उनवान:- मुनेष बनाम पानबाई वगै0
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

क्र.सं.	फर्द अहकाम
71/25	<p>प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब होकर पत्रावली दिनांक 17.02.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (पूजा मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
172/25	<p>पत्रावली पेश हुई, प्रार्थी व प्रार्थी वकील को न्यायालय द्वारा बार-बार ज्ञावाज दिलवाये जाने के बावजूद अदुपस्थित न्यायालय रहने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के दम दखली के दम पक्षी खानीज किया जाता है। पत्रावली फायल नुसार नम्बर से का होकर पत्रावली दफ्तर है।</p>

94-100
17/11/25

